

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 537)/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती शैली यू.पी., महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर, जिनकी जन्म तिथि 04.04.1959 एवं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 30.03.1988 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2019 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

४-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 537)/2019/ ४३

दिनांक:- 10/1/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं0 6, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर